832
संख्याः /XXVII(7)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव/सचिव,
चिकित्सा शिक्षा,उच्च शिक्षा,
संस्कृत शिक्षा,तकनीकी शिक्षा,
कृषि एवं विपणन,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः04 मार्च,2011

विषयः–अधिसूचना संख्याः21/XXVII(7)अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर,2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अनुसार चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा,संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कृषि विभाग के शिक्षण संस्थाओं में लागू करने के विषय में व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः21/XXVII(7)अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर,2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है दिनांक 01 अक्टूबर,2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है। शासन के नियंत्रणाधीन तथा इससे पूर्व अन्यत्र(उत्तराखण्ड राज्य सेवा एवं सस्थाओं के साथ–साथ अन्य केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों की सेवा में तथा उनके स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में) कार्यरत थे तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिटस रूल्स 1961 या इसी प्रकार की पुरानी हित पेंशन लाभ योजना से आच्छादित थे, को पुरानी हित पेंशन लाभ योजना का लाभ नहीं अनुमन्य हो पा रहा है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार में उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व कृषि विभाग के शिक्षक/शिक्षणेत्तर संवर्ग में दिनांक 1/10/2005 या उसके बाद नये नियुक्त हुए शिक्षक/शिक्षणेत्तर संवर्ग के कार्मिकों, यू0जी0सी0 के दिशा निर्देश से नियंत्रित अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों,चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय, भारत सरकार के विश्वविद्यालय एवं संस्थानों, सी0एस0आई0आर0, आई0सी0 ए0आर0 आदि तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पुरानी पेंशन योजना के अधीन की गई सेवाओं को निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन पुरानी पेंशन हितलाभ योजना में आच्छादित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) संबंधित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा पूर्व धारित पद विधिवत सृजित हो तथा उस पद पर नियुक्ति विधिवत एवं नियमित रूप से की गयी हो।

(ii) जिन संस्थाओं की पूर्व में की गई सेवा में पेंशन हेतु जोड़ी जानी हो, वह सेवाएं पेंशनेबल हो,।

(iii) यदि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि विश्वविधालय,आई0सी0ए0आर0 के द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों, में पेंशन देने का दायित्व

राज्य सरकार का हो, तो केवल वहां ही पेंशनरी एवं अवकाश वेतन का अंशदान जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी,क्योंकि भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू होने के पूर्व सी0पी0एफ0 का प्रबन्धकीय अंशदान राजकोष में जमा करना होता है। यदि पूर्व सेवा के द्वारा संबंधित शिक्षक/कर्मचारी को सी0पी0एफ0 प्रबन्धकीय अंशदान प्राप्त हो गया हो तो प्रबन्धकीय अंशदान जी0पी0एफ0 में तत्समय लागू ब्याज दर सहित राजकोष में जमा कर दिया जाय।

(iv) जिन संस्थाओं को उनके कर्मचारियों के वेतनादि एवं पेंशन आदि के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता है, यदि उनके अध्यापक/कर्मचारी किसी सहायता प्राप्त कृषि/अन्य महाविद्यालयों की सेवा में चले जाते हैं, तो उनकी पूर्व सेवायें पेंशनादि के प्रयोजना हेतु तभी जोड़ी जायेगी, जब नियोजक शासन के नियमों के अनुसार आगणित कैपिटलाइज्ड वैल्यू आफ पेंशन की पूर्व की राशि राज्य कोष में जमा कर दें चाहे संबंधित शिक्षक/कर्मचारी उस संस्था के पेंशन नियमों से आच्छादित भी रहा हो।

उपरोक्त शर्तो के अधीन एक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की गई सेवा की गणना दूसरी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में की जा सकती है। पेंशन के पात्र वहीं शिक्षक/ /शिक्षणेत्तर कर्मचारी होंगे, जो नियमित रूप में चयनित हों तथा नियमित एंव पूर्ण कालिक पद पर नियुक्त हो। तदर्थ सेवायें पेंशन के लिए नहीं जोड़ी जायेगी। इस प्रयोजन हेतु पदों का स्थायी होना आवश्यक नहीं है।

(v) एक संस्था से दूसरी संस्था में नियुक्ति की स्थिति में अधिकतम व्यवधान उस अवधि तक का मर्षित किया जा सकता है जितनी अवधि का राज्य कर्मचारियों को स्थानान्तरण होने पर कार्यभार ग्रहण काल(Joining time) देय होता है।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या 832(1)/XXVII(7)/2011तददिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–निदेशक, लेखा एंव हकदारी,23 लक्ष्मीरोड़, डालनवाला,देहरादून।
3–निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उत्तराखण्ड।
4–कुल सचिव,कुमायूँ विश्व विद्यालय/तकनीकी विश्वविद्यालय/पंतनगर विश्वविद्यालय/अन्य सरकारी विश्वविद्यालय, राजकीय मेडिकल कालेज,उत्तराखण्ड।
5–मुख्य सचिव, समस्त प्रदेश, भारत।
6–महानिदेशक,भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,कृषि मंत्रालय,नई दिल्ली।
7–अध्यक्ष,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,नई दिल्ली।
8–निदेशक चिकित्सा/निदेशक,उच्च शिक्षा/निदेशक संस्कृत शिक्षा/निदेशक तकनीकी शिक्षा/निदेशक कृषि, उत्तराखण्ड।
9–महानिदेशक, काउन्सिल आफ साईन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च,नई दिल्ली।
10–वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु–3/कृषि अनु0–2/तकनीकी शिक्षा/उच्च शिक्षा अनुभाग।
11– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव,वित्त।